

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी, मुकाम-भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास - श्री मांगीलाल रेगर, आर0ए0एस0,

- उनवान
1. कैलाश गिरी पिता हेमगिरी गुसाई(गोस्वामी) वयस्क पेशा मजदूरी व कृषि निवासी कुरेठा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
 2. मांगू गिरी पिता हेमगिरी गुसाई(गोस्वामी) वयस्क पेशा मजदूरी व कृषि निवासी कुरेठा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
 3. श्रीमति कमला बाई पुत्री गिरी पिता हेमगिरी गुसाई(गोस्वामी) वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
 4. सीताबाई पुत्री गिरी पिता हेमगिरी गुसाई(गोस्वामी) वयस्क निवासी कुरेठा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

.....वादीगण

॥ बनाम ॥

1. हेमगिरी पुत्र स्व. शंकरगिरी गुसाई(गोस्वामी) 70 वर्ष वयस्क पेशा मजदूरी व कृषि निवासी कुरेठा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. तुलसीबाई पत्नि हेमगिरी गुसाई (गोस्वामी) वयस्क पेशा घरेलू कार्य नि0 कुरेठा त.भदेसर
3. कोशल्या पत्नि शंकरलाल ब्राह्मण वयस्क नि0 कुरेठा त. भदेसर
4. युसुफ खान पिता इब्राहिम मुसलमान वयस्क नि0 कुरेठा त. भदेसर
5. अजीज हुसेन पिता पिता इब्राहिम मुसलमान वयस्क नि0 कुरेठा त. भदेसर
6. इशाक मोहम्मद पिता इब्राहिम मुसलमान वयस्क नि0 कुरेठा त. भदेसर
7. भेरूगिरी पिता एकलिंग गुसाई (गोस्वामी) वयस्क पेशा काश्त नि0 कुरेठा त. भदेसर
8. राजूगिरी पिता एकलिंग गुसाई (गोस्वामी) वयस्क पेशा काश्त नि0 कुरेठा त. भदेसर
9. श्री किशनपुरी पिता एकलिंग गुसाई (गोस्वामी) वयस्क पेशा काश्त नि0 कुरेठा त. भदेसर
10. मांगीबाई विधवा एकलिंग गुसाई (गोस्वामी) वयस्क पेशा काश्त नि0 कुरेठा त. भदेसर
11. औंकारगिरी पिता शंकरगिरी गुसाई (गोस्वामी) वयस्क पेशा काश्त नि0 कुरेठा त. भदेसर
12. भोलीबाई पत्नि रामलाल गुर्जर वयस्क पेशा काश्त नि0 कुरेठा त. भदेसर
13. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र खातेदारी घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती धारा 88,53,188 आर.टी.ए.
प्रकरण सं0. 38/2017 ई0रे0



dm
24.12.18
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

(2)

वादीगण की ओर से वकील श्री प्रवीण जोशी एवं प्रतिवादी की ओर से वकील - की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 24-12-2018 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादीगण सिद्ध पाये जाने से स्वीकार किया जाता है हेमगिरी प्रतिवादी संख्या 1 के खाते दर्ज रही भूमि में से वादी संख्या 1, 2, 3, 4 कैलाशगिरी, मांगुगिरी, कमला, सीता पिता हेमगिरी 4/15 एवं प्रतिवादी संख्या 2 तुलसीबाई पत्नी हेमगिरी 1/30 प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 युसुफ खां अजीज इशाक पिता इब्राहिम के संयुक्त हिस्से में 1/30 अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विभाजन की दाद विद्धो कर लिये जाने से खारीज की जाती। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है विवादित भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल होने तक किसी प्रकार से हस्तान्तरण रहन बय बखीश नहीं करें, वादीगण के स्थापित कब्जे से उन्हें बेदखल नहीं करें न अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह आज दिनांक 24-12-2018 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया।



dm 24.12.18
(मागीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भद्राचल